

क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू



268
नवंबर
2001

नीति

22 अक्टूबर 2001 को 2001-02 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा के परिणामस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित कार्यवाहियां शुरू की हैं :

कंपनियों के वित्तीय हानि से बचाव व्यवस्था रहित विदेशी मुद्रा के ऋण

भारतीय रिजर्व बैंक ने समस्त अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया है कि जिन बैंकों के कंपनियों को ऋण आदि जोखिम (एक्सपोजर) अधिक हैं उन्हें मासिक आधार पर, उपयुक्त सूचना प्रणाली के माध्यम से उन कंपनियों के विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के वित्तीय हानि से बचाव रहित अंश की निगरानी और समीक्षा करनी चाहिए, जिनका कुल विदेशी मुद्रा ऋण आदि जोखिम (एक्सपोजर) अपेक्षाकृत अधिक (जैसे 250 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक या उसकी समराशि का) है। इससे पूर्व, बैंकों को सूचित किया गया था कि बाजार के जोखिमों पर नियमित आधार पर निगरानी रखने के लिए, खास तौर से जिन कंपनियों की वित्तीय हानि से बचाव की स्वाभाविक व्यवस्थाएं नहीं हैं, उनके ऋण आदि संबंधी विदेशी मुद्रा जोखिमों के लिए उपयुक्त ढांचा तैयार किया जाये।

पिछले कुछ समय में, कंपनियों को बाजार में उनके विदेशी मुद्रा ऋण आदि जोखिमों से होनेवाली वित्तीय हानि से बचाव करने के लिए काफी लचीलापन प्रदान किया गया है। कंपनियों को अपने विनिमय जोखिमों से होने वाली वित्तीय हानि से बचाव (हेजिंग) के लिए उपलब्ध लिखतों में वायदा रक्षा मुद्रा विकल्प (करेंसी ऑप्शन), विदेशी मुद्रा-रुपया स्वैप, ऋण जोखिमों की वित्तीय हानि से बचाव व्यवस्था, आदि शामिल हैं। बैंकों को यह भी अनुमति दी गयी है कि वे अपने सर्वोच्च प्रबंध-तंत्र से इस संबंध में आवश्यक नीतिगत अनुमोदन प्राप्त करने के बाद अपने आस्ति-देयता संविभाग की वित्तीय हानि से बचाव व्यवस्था करें। तथापि, रिजर्व बैंक ने यह पाया था कि कभी-कभी कंपनी के विदेशी मुद्रा वायदों का एक बड़ा भाग कंपनियों द्वारा बाजार की उनकी धारणाओं के आधार पर हानियों से बचाव की व्यवस्था के बिना रह जाता है और इनसे गंभीर अनिश्चितताओं के अधीन कंपनियों की समग्र वित्तीय स्थिति प्रभावित हो सकती है।

तुलन-पत्र संबंधी प्रकटीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर समस्त अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को भेजे गये एक पत्र के माध्यम से निम्नानुसार सूचित किया है :

बैंक अपने तुलन-पत्रों में लेखों पर टिप्पणियों में निम्नलिखित बातें प्रकट करें। यह अतिरिक्त जानकारी मार्च 2002 को समाप्त होनेवाले वर्ष से निर्धारित प्रोफार्म में दी जाये तथा उसमें निम्नलिखित जानकारी को शामिल किया जाये : (i) अनर्जक आस्तियों हेतु रखे गये प्रावधानों में घट-बढ़ तथा (ii) निवेशों में मूल्यहास हेतु रखे गये प्रावधानों में घट-बढ़। ये जानकारीयां पहले दी की जा रही तुलन-पत्र में 'लेखों पर टिप्पणियां' में ऋणों तथा अग्रिमों की अवधिपूर्णता के स्वरूप, निवेशों, जमाराशियों

और उधारों, अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में घट-बढ़, संवेदनशील क्षेत्रों को ऋण आदि जोखिम, आदि के अलावा होंगी।

अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का निपटारा

रिजर्व बैंक दिशानिर्देश बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की पारदर्शिता तथा साख को सुनिश्चित करना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने समस्त वाणिज्य बैंकों को सूचित किया है कि जुलाई 1995 में स्पष्ट किये गये अनर्जक आस्तियों का समझौता या विचार-विमर्श करके निपटारे का व्यापक ढांचा लागू रहेगा।

रिजर्व बैंक ने जुलाई 2000 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से संबंधित, देय राशि की वसूली द्वारा अत्यधिक पुरानी अनर्जक आस्तियों के स्टॉक को कम करने के लिए एक बारगी प्रोत्साहन देने हेतु सरलीकृत, विवेकाधीन रहित और भेदभाव रहित दिशा-निर्देश जारी किये थे। उपर्युक्त दिशा-निर्देशों में लघु क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में 5 करोड़ रुपये तक के खातों के मामलों को शामिल किया गया था, परंतु इनमें, जानबूझकर चूक करने, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले शामिल नहीं थे। इन दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट निपटारे की योजना जून 2001 तक चालू थी और इस तारीख तक प्राप्त सभी आवेदनों को सितंबर 2001 तक प्रोसेस किया जाना था। उक्त योजना को और आगे बढ़ाने के लिए कुछ अभिवेदन प्राप्त हुए थे।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन दिशा-निर्देशों का प्रयोजन विनिर्दिष्ट समय सीमा के अंदर एक बारगी निपटारे का अवसर प्रदान करना था और पहले ही

विषय सूची

नीति	पृष्ठ
• कंपनियों के वित्तीय हानि से बचाव व्यवस्था रहित विदेशी मुद्रा के ऋण	1
• तुलन-पत्र संबंधी प्रकटीकरण	1
• अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का निपटारा	1
• लोक-अदालतों के माध्यम से समझौते	2
• विवेकशील मानदंड	2
• डेबिट कार्ड जारी करना	2
• ऋण जोखिम प्रबंधन पर मार्गदर्शक नोट	2
शाखा बैंकिंग	
• बैंक क्रेडिट की सुपुर्दगी के लिए ऋण-व्यवस्था	3
• भूमि की खरीद के लिए वित्तपोषण	3
विदेशी मुद्रा	
• सांफ्टवेक्स फार्मों का अधिप्रमाणन	4
• निर्यात आय की वसूली	4
• नोट पैकेटों की स्टेपलिंग न करना	4
• विदेशी मुद्रा में बीमा दावों का निपटारा	4
• विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए विदेशी मुद्रा नोट तथा सिक्के	4

पर्याप्त समय प्रदान किया गया था, इसलिए रिजर्व बैंक ने इस योजना को आगे न बढ़ाने का निर्णय लिया। बैंक समझौता करके और आपसी विचार-विमर्श करके वसूली करने और बट्टे खाते डालने के लिए अपने निदेशक मंडलों के अनुमोदन से, विशेष कर अनर्जक आस्तियों के अंतर्गत आने वाले पुराने और निपटायें न गये मामलों के लिए नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस संबंध में एक बारगी निपटारे की योजना के अनुभव का ध्यान रखा जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि बैंक के निदेशक-मंडलों द्वारा लागू की गयी कोई भी योजना सरल, बिना भेदभाव की और पारदर्शी हो ताकि सभी पात्र मामलों में एक समान व्यवहार किया जाता है।

लोक-अदालतों के माध्यम से समझौते

भारतीय रिजर्व बैंक ने अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, ऋण वसूली अधिकरणों/ऋण वसूली अपीलीय अधिकरणों (डीआरटी/डीआरएटी) को सूचित किया है कि वे 5 लाख रुपये तक की राशि वाले बैंककारी-विवादों को निपटाने के लिए ऋण वसूली अधिकरणों/ऋण वसूली अपीलीय अधिकरणों (डीआरटी/डीआरएटी) द्वारा आयोजित लोक-अदालतों के मंच का अधिकाधिक प्रयोग कर सकते हैं। यह सूचना एक बैंक द्वारा उठायी गयी शंका का समाधान करने के लिए जारी की गयी थी कि लोक-अदालतों द्वारा निपटान के लिए 5 लाख रुपये की उच्चतम सीमा निर्धारित होने के परिप्रेक्ष्य में, क्या 10 लाख रुपये या इससे अधिक के मामलों को निपटाने के लिए विभिन्न ऋण वसूली अधिकरणों/ऋण वसूली अपीलीय अधिकरणों (डीआरटी/डीआरएटी) द्वारा लगायी गयी लोक-अदालतों में वे भाग लें।

विवेकपूर्ण मानदंड

पुनर्व्यवस्थित खातों के बारे में व्यवहार

रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि अप्रैल और मई 2001 में जारी पुनर्व्यवस्थित मानक और अवमानक ऋणों के विनियामक व्यवहार से संबंधित उसके अनुदेश सभी प्रकार की ऋण सुविधाओं पर लागू होंगे, जिनमें वाणिज्य बैंकों द्वारा औद्योगिक इकाइयों को दी गयी कार्यशील पूंजी सीमायें शामिल हैं, बशर्ते वे गोचर जमानत द्वारा पूरी तरह सुरक्षित हों।

इसके अलावा चूँकि व्यापार में केवल पण्यों की खरीद और बिक्री शामिल है और निर्माता इकाइयों के सामने आनेवाली वाणिज्यिक उत्पादन, समय और लागत बढ़ने आदि अड़चनों जैसी समस्याएं उन पर लागू नहीं हैं, इसलिए व्यापारियों को दी गयी ऋण सुविधाओं की पुनर्व्यवस्था/चुकोती के पुनर्निर्धारित कार्यक्रम पर ये दिशा-निर्देश लागू नहीं किये जाने चाहिए।

जिन ऋणों को पुनर्व्यवस्थित/चुकोती कार्यक्रम का पुनर्निर्धारण किया जा रहा हो उन ऋण सुविधाओं के लिए कितनी सुरक्षा उपलब्ध है, इसका निर्धारण करते समय संपार्श्विक जमानत को भी हिसाब में लिया जायेगा, बशर्ते इस प्रकार की संपार्श्विक जमानत गोचर जमानत हो और बैंक के पक्ष में उचित रूप से प्रभारित हो तथा प्रवर्तक/अन्य की गारंटी जैसे अगोचर रूप में न हो।

ये अनुदेश लेखा-परीक्षा समिति की आय-निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने के संबंध में विवेकपूर्ण मानदंडों पर मौजूदा दिशानिर्देशों पर चर्चा करने के बाद जारी किये गये थे।

खंडित अवधि के ब्याज का लेखांकन

रिजर्व बैंक ने बैंकों को आगे सूचित किया कि वे खंडित अवधि के ब्याज के लेखांकन के लिए जारी दिशानिर्देशों का दृढ़ता से पालन करें। इसने बैंकों को सूचित किया है कि वे विफ्रेता को अदा किये गये खंडित अवधि के ब्याज का लागत के रूप में पंजीकरण न करें बल्कि इसे लाभ और हानि खाते के अंतर्गत व्यय की एक मद के रूप में मानें।

आय निर्धारण

निवेश आय-निर्धारण संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन भी हैं। इसलिए जहां

ब्याज/मूलधन 180 दिन से अधिक समय से बकाया हो, वहां बैंक किसी प्रतिभूति के संबंध में प्रोद्भूत आधार पर आय को बही में न लिखें, चाहे वह किसी भी श्रेणी में हो। यदि ब्याज/मूलधन 90 दिन से अधिक समय से बकाया हो तो बैंकों को 31 मार्च 2004 से उसे प्रोद्भूत आधार पर आय के रूप में बही में नहीं लिखना चाहिए।

अवधिपूर्ण जमाराशियों पर ब्याज

बैंक अवधिपूर्ण हो चुकी जमाराशियों पर देय ब्याज के बाद में पिछली प्रवृत्ति/अनुभव के आधार पर प्रावधान करने या अन्यथा व्यवहार के लिए अपनी स्वयं की नीति बनायें और उसी नीति का लगातार पालन करें।

क्रेडिट कार्ड बकाया

बैंकों को चाहिए कि वे दूसरे बैंकों/संघटनों से देय राशियों सहित क्रेडिट कार्ड परिचालनों की समस्त देय राशियों को अग्रिमों को अंतर्गत दर्शायें। अलबत्ता वे कोई ऐसी मद अग्रिमों के अंतर्गत न दर्शाये जो वो राजस्व की प्रकृति की नहीं है।

नामे (डेबिट) कार्ड जारी करना

रिजर्व बैंक ने ऑन लाइन डेबिट कार्ड शुरू करने के लिए उन क्षेत्रों में, जहां स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एस टी पी) की जाती है, वहां 100 करोड़ रुपये की न्यूनतम मालियत के मानदंड की शर्त को समाप्त कर दिया है। अब बैंकों को ऑन-लाइन डेबिट कार्ड शुरू करने के लिए रिजर्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लेने की जरूरत नहीं है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को भेजे गये अपने एक परिपत्र में बैंक ने इस बात का उल्लेख किया है कि बैंक अपने-अपने बोर्डों के अनुमोदन से डेबिट कार्ड उत्पाद प्रारंभ कर सकते हैं तथा उन्हें अपने बोर्डों को प्रस्तुत एजेंडा नोट तथा उस पर पारित संकल्प की प्रति रिजर्व बैंक को भेजनी चाहिए। अलबत्ता, बैंकों को डेबिट कार्डों के कार्यकलाप का ऑफ-लाइन तरीका प्रारंभ करने वाले बैंकों द्वारा 100 करोड़ रुपये का न्यूनतम मालियत मानदंड का पालन करने की जरूरत होगी और इस तरह के मामलों में वे अन्य गैर बैंकिंग इकाइयों के साथ मिल कर स्मार्ट कार्ड/डेबिट कार्ड जारी नहीं कर सकते।

आपको याद होगा कि रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2000 में बैंकों को यह सूचित किया गया था कि केवल 100 करोड़ रुपये की न्यूनतम मालियत वाले वाणिज्य बैंक ही डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं। जबकि रिजर्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की शर्त नवम्बर 2000 में हटा दी गयी थी।

बैंकों को भेजे गये अपने परिपत्र में रिजर्व बैंक ने इस बात को दोहराया है कि डेबिट कार्डों के मामले में जहां प्राधिकरण और निपटान ऑफ-लाइन हैं या प्राधिकरण अथवा निपटान में से कोई एक ऑफ-लाइन है, वहां बैंकों को रिजर्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त करना चाहिये। इस प्रयोजन के लिए वे रिजर्व बैंक में बोर्ड नोट/संकल्प सहित प्राधिकरण और निपटान के तरीके, अधिप्रमाणन की पद्धति, प्रयुक्त टेक्नोलॉजी, अन्य एजेंसियों / सेवा प्रदान करने वाले के साथ तालमेल, यदि कोई हो, के ब्यौरे प्रस्तुत करें। इसके अलावा, बैंक डेबिट कार्डों के ऑफ लाइन परिचालनों के तरीके को शुरू करने के लिए 100 करोड़ रुपये की न्यूनतम मालियत के निर्धारण को भी पूरा करेंगे।

ऋण जोखिम प्रबंधन पर मार्गदर्शक नोट

बैंकों में वर्तमान जोखिम प्रबंधन प्रथाओं में गुणवत्ता वृद्धि करने और उनमें सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ते हुए बैंकों द्वारा ऋण जोखिम प्रबंधन के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शक नोट तैयार करने हेतु चुनिंदा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से विशेषज्ञों को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक में ऋण जोखिम के संबंध में एक कार्य दल गठित किया गया था। उक्त कार्य दल ने कुछ और उपाय सुझाये हैं, जिनको भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बैंकों द्वारा अपने वर्तमान जोखिम प्रबंध ढांचे में सुधार करने के लिए अपनाया जाना है। उक्त कार्य दल के सदस्यों से प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर ऋण जोखिम के संबंध में एक मार्गदर्शक नोट तैयार किया गया और भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट <http://www.rbi.org.in> पर प्रदर्शित किया गया है।

शाखा बैंकिंग

बैंक क्रेडिट की सुपुर्दगी के लिए ऋण-व्यवस्था

रिजर्व बैंक ने कंपनियों और बैंकों - दोनों को ही उपलब्ध अल्पावधिक निवेश संबंधी अवसरों के वर्तमान वातावरण की पृष्ठभूमि में 'ऋण व्यवस्था' से संबंधित दिशानिर्देशों की समीक्षा की है। बैंक ने यह निश्चय किया है कि बैंकों को अब इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वे यदि चाहें तो 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक की कार्यशील पूंजी वाले मामलों में नकदी ऋण अंश को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर या ऋण अंश को 80 प्रतिशत से बढ़ाकर कार्यशील पूंजी के संघटन को बदल सकते हैं। अलबत्ता, बैंकों से यह आशा की जाती है कि वे ऐसे निर्णयों के कारण अपने नकदी और चलनिधि प्रबंध पर पड़ने वाले प्रभावों को दृष्टिगत रखते हुए कार्यशील पूंजी वित्त के दोनों घटकों का उपयुक्त प्रकार मूल्य निश्चित करेंगे।

ऋण-व्यवस्था के लिए दिशा निर्देश:

(i) ऋण और कैश क्रेडिट

क) बैंकिंग प्रणाली से 10 करोड़ रुपये या अधिक का कार्यशील पूंजी ऋण लेने वाले उधारकर्ताओं के मामले में ऋण अंश सामान्यतः 80 प्रतिशत होना चाहिए। तथापि बैंक इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि यदि वे चाहें तो नकदी ऋण अंश को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर या 'ऋण अंश' को 80 प्रतिशत से बढ़ाकर कार्यशील पूंजी के संघटन को बदल सकें। बैंकों से यह आशा की जाती है कि वे अपने नकदी और चलनिधि प्रबंध पर ऐसे निर्णयों के कारण पड़ने वाले प्रभावों को दृष्टिगत रखते हुए कार्यशील पूंजी वित्त के दोनों घटकों का उपयुक्त प्रकार से मूल्य निश्चित करें।

ख) 10 करोड़ रुपये से कम का कार्यशील पूंजी ऋण लेने वाले उधारकर्ताओं को बैंक नकदी ऋण अंश की तुलना में ऋण अंश पर कम ब्याज दर लगाकर प्रोत्साहन प्रदान करके उन्हें 'ऋण व्यवस्था' अपनाने के लिए राजी करें। ऐसे मामलों में बैंक अपने उधारकर्ता ग्राहकों से बातचीत करके 'ऋण अंश' का वास्तविक प्रतिशत तय कर सकते हैं।

ग) चक्रीय और मौसमी प्रकृति के या स्वाभाविक रूप से ऐसी गतिविधियों में जहां उतार-चढ़ाव होता है, से संबंधित कुछ गतिविधियों के मामले में ऋण व्यवस्था को कड़ाई से लागू करने पर उधारकर्ताओं को कठिनाई हो सकती है। बैंक अपने निदेशक मंडलों के अनुमोदन से कारोबार संबंधी उन गतिविधियों की पहचान कर सकते हैं जिन्हें ऋण व्यवस्था से छूट दी जा सकती है।

2. तदर्थ ऋण सीमा

वर्तमान व्यवस्था के अनुरूप, उधारकर्ता द्वारा वर्तमान सीमा का पूरी तरह उपयोग कर लेने/वर्तमान सीमा को पूरी तरह खर्च कर लेने के बाद ही, वित्त प्रदान करने वाला बैंक अस्थायी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तदर्थ/अतिरिक्त ऋण देने पर विचार कर सकता है।

3. कार्यशील पूंजी में हिस्सेदारी

जिन मामलों में सहायता-संघ का निर्माण किया गया हो उनमें नकदी ऋण और ऋण अंश में हिस्सेदारी के लिए आधारभूत नियम बनाए जा सकते हैं लेकिन इस मामले में ऋण तथा कैश क्रेडिट घटक के बीच दो भागों में विभाजित किए जाने संबंधी दिशानिर्देश लागू होंगे। अलग-अलग बैंक के हिस्से के स्तर के संबंध में एकल उधारकर्ता/समूह को ऋण दिए जाने संबंधी मानदंड लागू रहेंगे।

4. ब्याज दर

'ऋण अंश' और 'नकदी ऋण अंश' के लिए अलग-अलग मूल उधार दर तथा उससे ऊपर अंतर की दर निश्चित करने के मामले में बैंकों को छूट होगी।

5. ऋण की अवधि

कार्यशील पूंजी के प्रयोजन हेतु दिए जाने वाले ऋण की न्यूनतम अवधि बैंक उधारकर्ताओं से विचार-विमर्श करके निश्चित कर सकते हैं। उधारकर्ता की आवश्यकता के अनुसार बैंक ऋण को प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग-अलग परिपक्वता आधारों पर विभाजित करने का निर्णय ले सकते हैं तथा उसके रोल ओवर की भी अनुमति दे सकते हैं।

6. जमानत

आवश्यकता पड़ने पर बैंक प्रतिभूति प्रभार में हिस्सेदारी, प्रलेखीकरण इत्यादि के मामले में अन्य भागीदार बैंकों के साथ विचार-विमर्श करके स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

7. निर्यात ऋण

निर्यात-ऋण सीमाओं (पोतलदानपूर्व और पोतलदानोत्तर) को अलग करने के बाद, कार्यशील पूंजी सीमा को ऋण तथा नकदी ऋण अंश में विभाजित किया जाएगा। निर्यात ऋण सीमा के मामले में जिस प्रकार अभी तक अनुमति दी जाती रही है, उसी प्रकार बाद में भी अनुमति दी जाती रहेगी।

8. बिल

देशी बिक्री संबंधी बिल-सीमा पूरी तरह से 'ऋण अंश' के अंतर्गत ही होगी। बिल की सीमा के अंतर्गत तीसरे पक्ष (मुख्यालय से बाहर) के चेकों/बैंक ड्राफ्टों के क्रय के लिए सीमाएँ भी शामिल हैं। बैंकों को इस मामले में पूर्णतः आश्वस्त हो लेना चाहिए कि बिल संबंधी सीमा का दुरुपयोग न हो।

9. नवीकरण

उधारकर्ता के अनुरोध पर ऋण अंश का नवीकरण/रोलओवर किया जा सकता है।

10. अल्पावधिक अतिरिक्त निधि के निवेश

बैंक अपने विवेक से उधारकर्ताओं को इस बात की अनुमति दे सकते हैं कि वे अपनी अल्पावधिक/अस्थायी अतिरिक्त निधि का निवेश अल्पकालिक मुद्रा बाजार लिखतों, जैसे वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाणपत्रों और बैंकों के पास मीयादी जमा के रूप में कर सकें।

11. प्रयोज्यता

ऋण व्यवस्था 'मानक' या 'अवमानक' के रूप में वर्गीकृत उधार खातों पर लागू होगी।

भूमि की खरीद के लिए वित्तपोषण

यह निर्णय लिया गया है कि उक्त योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा किया गया वित्तपोषण 'प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम' के अंतर्गत 'प्रत्यक्ष कृषि' के तहत वर्गीकृत किया जायेगा परंतु इसके लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

- यह ऋण बंटाईदारों, काशतकारों, लघु और सीमांत कृषकों को प्रदान किया जाए जो अधिकतम 5 एकड़ असिंचित भूमि अथवा 2.5 एकड़ सिंचित भूमि के मालिक हों अथवा इतनी ही भूमि खरीदने वाले हों।
- भूमि की खरीद विभाजित कृषि जोतों में न हो और इससे उत्पादन/उत्पादकता में प्रभावी वृद्धि होनी चाहिए।
- भूमि की खरीद कृषि उपज बढ़ाने के साथ-साथ बंजर भूमि के परिवर्धन अथवा अन्य संबद्ध कार्यकलापों के संस्थापन/विविधीकरण के लिए होनी चाहिए। बैंकों को चाहिए कि वे प्राप्त निधि का किया गया अंतिम उपयोग सुनिश्चित करें।

रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया है कि वे कृपया यह भी नोट करें कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार संबंधी अर्धवार्षिक विवरणी में उपर्युक्त अग्रिमों को 'प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम' के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाये।

विदेशी मुद्रा

सॉफ्टवेक्स फार्मों का अधिप्रमाणन

भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित किया है कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कस् ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) अथवा फ्री-ट्रेड जोन (एफटीजेड) में अथवा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन (ईपीजेड) अथवा स्पेशल इकॉनॉमिक जोन (एसईजेड) में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के पदनामित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है कि वे एसटीपीआई/ईपीजेड/एसईजेड में स्थित इकाइयों द्वारा सॉफ्टवेक्स फार्मों में घोषित निर्यात अधिप्रमाणित कर सकते हैं। निर्यात आयात नीति के अनुसार एसटीपीआई/ईपीजेड/एसईजेड के पदनामित अधिकारी ऐसी निर्यातोनमुखी इकाइयों के संबंध में भी सॉफ्टवेक्स फॉर्म अधिप्रमाणित कर सकते हैं जो उनके पास पंजीकृत है। तदनुसार निर्यातोनमुखी सॉफ्टवेयर निर्यातक सॉफ्टवेक्स फार्मों पर सॉफ्टवेयर निर्यातों के अधिप्रमाणन के लिए उन एसटीपीआई/ईपीजेड/एसईजेड के पदनामित अधिकारियों के पास जाएं, जहां वे पंजीकृत हैं।

निर्यात आय की वसूली

भारतीय रिजर्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि एक अस्थायी उपाय के रूप में चुनिंदा उत्पादों के निर्यातों के संपूर्ण मूल्य की वसूली और प्रत्यावर्तन की अवधि शिथिल करके पोतलदान की तारीख से 365 दिनों तक की अवधि कर दी जाये। तथापि, वसूली की शिथिल अवधि निम्नलिखित विनिर्दिष्ट उत्पादों के विनिर्माता निर्यातकों को उपलब्ध होगी:

- औषधीय (दवा, उच्च रसायन सहित)
- कृषि (रसायन अजैव तथा जैव रसायन सहित)
- परिवहन उपकरण (वाणिज्य वाहनों, दो और तीन पहियों, ट्रैक्टर, रेल वाहन, लोको मोटिव सहित)
- सीमेंट (ग्लास, ग्लासवेयर, सेरेमिक्स और रेफ्रेक्टोरीज सहित)
- लोहा और स्टील (लौह और स्टील बार/रॉड्स और प्रायमरी एण्ड सेमी फिनिश लोहा और स्टील) और
- इलेक्ट्रिकल मशीनरी (ट्रान्समिशन लाइन टावर्स, गीअर ट्रान्सफॉर्मर्स)

उनके पास एक वर्ष में, पहली अक्टूबर 2001 को या उसके बाद एक वर्ष के लिए, समीक्षा के अधीन, निर्यातों के लिए 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक की निर्यात संविदाएं होनी चाहिए। इससे पूर्व वस्तुओं की निर्यात के लिए मूल्य की वसूली और प्रत्यावर्तन की अवधि छह महीने थी, जिसके भीतर पूर्ण निर्यात मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि की वसूली करके उसे भारत को प्रत्यावर्तित करना जरूरी होता था।

विदेशी मुद्रा में बीमा दावों का निपटान

रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारियों का सूचित किया है कि जनरल इन्शुरन्स मैनुअल के प्रावधानों के अंतर्गत आनेवाले पॉलिसियों के अलावा विदेशी मुद्रा में सामान्य बीमा पॉलिसियों के संबंध में विदेशी मुद्रा में दावे निम्नलिखित शर्तों पर बीमा कंपनियों द्वारा निपटारे जाने की अब अनुमति है।

- पॉलिसी विदेशी मुद्रा में रिजर्व बैंक के विशिष्ट अनुमोदन के साथ जारी की गयी है;
- दावा पॉलिसी की अवधि के दौरान हुई हानि के लिए किया गया है;
- दावा बीमा कंपनी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है;
- दावा सर्वेक्षकों तथा अन्य समर्थक दस्तावेजों के अनुसार निपटारा गया है;

नोट पैकेटों की स्टैपलिंग न करना

रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा स्थानीय क्षेत्र बैंकों सहित सभी वाणिज्य बैंकों को निदेश दिया है कि वे तत्काल प्रभाव से:

- किसी भी नोट पैकेट को स्टैपल नहीं करेंगे और इसके बजाय नोट पैकेटों को कागज की पट्टी से सुरक्षित करेंगे।
- वे पुनः जारी किये जाने योग्य/पुनः जारी न किये जाने वाले नोटों को अलग-अलग करेंगे और जनता को केवल साफ-सुथरे नोट ही जारी करेंगे। सड़े-गले नोटों को बैंक करेंसी चेस्टों के माध्यम से आवक प्रेषणों में भारतीय रिजर्व बैंक को बिना स्टैपल किये हुए ही प्रस्तुत करेंगे।
- बैंक, नोटों के वाटरमार्क स्थान पर अब से कुछ भी नहीं लिखेंगे।

यह देखा गया था कि बैंक नये नोट पैकेटों को स्टैपल करने और पुनः जारी किये जा सकने वाले नोटों के पैकेटों को कई बार स्टैपल करने की परंपरा अभी भी जारी रखे हुए हैं। इससे नोटों का जीवन-काल कम होता है। इसके अलावा, बेईमान लोग नोट पैकेटों में कागज पर आधा नोट चिपका कर नोट पैकेटों के बीच में लगा देते हैं।

- पुनर्बीमा के कारण दावे पुनर्बीमा करने वालों (रीइन्शुरर्स) के पास जमा कराये जा रहे हैं तथा पुनर्बीमा करार के अनुसार प्राप्त किये जायेंगे;
- पॉलिसी के अंतर्गत प्रेषण अनिवासी हिताधिकारी को किये जा रहे हैं। निवासी हिताधिकारियों के लिए दावा देय विदेशी मुद्रा के समतुल्य रुपये में निपटारा जाये। किसी भी परिस्थिति में निवासी हिताधिकारी को विदेशी मुद्रा में भुगतान न किया जाये;
- आर विवरणियों में लेनदेन की रिपोर्ट करते समय पॉलिसी जारी करते समय रिजर्व बैंक के अनुमोदन का उल्लेख करें;

प्राधिकृत व्यापारी तदनुसार भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन के अधीन दावों के निपटान के लिए प्रेषण की अनुमति दे सकते हैं।

इसके पहले इस प्रकार के अनुरोध रिजर्व बैंक के पास भेजे जाते थे और रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर अनुमोदन दिये जाते थे तथा बीमा कंपनियों को विदेशी मुद्रा में मुद्रांकित पॉलिसियों को विदेशी मुद्रा में जारी करने तथा प्रीमियम विदेशी मुद्रा में प्राप्त करने की अनुमति दी जाती थी।

विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए विदेशी मुद्रा नोट तथा सिक्के

प्राधिकृत व्यापारी तथा पूर्णकालिक मुद्रा परिवर्तक अब रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना विदेश जानेवाले यात्रियों को 2000 अमेरिकी डॉलर (दो हजार अमेरिकी डॉलर केवल) या उसके बराबर राशि, विदेशी मुद्रा नोटों अथवा सिक्कों के रूप में जारी कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रियाविधियों को आसान बनाने की दृष्टि से अपने अनुदेशों में संशोधन किया है। विदेशी मुद्रा नोटों तथा सिक्कों के रूप में जारी की जाने वाली विदेशी मुद्रा की मौजूदा सीमा 500 अमेरिकी डॉलर है।

ये अनुदेश इराक, लीबिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, रशियन फेडरेशन तथा स्वतंत्र देशों के कॉमन वेल्थ के अन्य गणतंत्रों से इतर देशों को जानेवाले यात्रियों पर लागू होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि इराक तथा लीबिया जानेवाले यात्रियों को पहले से ही 5000 अमेरिकी डॉलर अथवा उसके बराबर की राशि ले जाने की अनुमति है। जबकि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, रशियन फेडरेशन तथा स्वतंत्र देशों के कॉमन वेल्थ के अन्य गणतंत्रों से इतर देशों को जानेवाले यात्रियों को अपनी पूरी विदेशी मुद्रा विदेशी मुद्रा नोटों तथा सिक्कों में ले जाने की अनुमति है।